निगरानी प्रकरण क्रमांक /2012

# माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

R-1428-I/12

जे.एस.जे. रियल स्टेट प्रा.लि.

रजिस्टर्ड कार्यालय – ए.एम.जी. संवाद नगर इन्दौर

द्वारा डायरेक्टर –

1– मनोज कुमार पिता विमलचन्द जैन

2– सतीशचन्द्र पिता रामचन्द्र जोशी

निवासी – 9, एम.आई.जी, इन्दौर --- प्रार्थी

विरूद्ध

1– मधुसुदन पिता चन्द्रशेखर पाण्डे

2– बसन्त पिता त्रम्बकराव पाण्डे

3– रजनीकान्त पिता त्रम्बकराव पाण्डे,

निवासी – देवास

4– सुशील कुमार पिता कन्हैयालाल बम

5– विजया पति सुशील कुमार बम

निवासी – राधागंज, जिला देवास

6– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला देवास --- प्रतिप्रार्थीगण

## निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्रतिप्रार्थी क्रमांक 6 अपर कलेक्टर जिला देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/पुनर्विलोकन/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2012 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी नकल प्राप्त करने में व्यतीत हुये समय को कम करते नियत समयावधि में योग्य न्यायशुल्क पर निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

– 2 पर

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1428-एक/12 **जिला** - देवास

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19.12.2018 | प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला देवास के प्रकरण क्रमाक 01/पुनर्विलोकन/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर, देवास द्वारा अपने आदेश दिनांक 21-10-08 द्वारा आनंद नगर जिला देवास स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 64/1 रकवा 0.672 हे. का अवैधानिक रूप से क्रय-विक्रय होकर हेरा-फेरी मानते हुए प्रकरण निगरानी में लेकर पटवारी हल्का नं0 18, आनंद नगर देवास की नामांतरण पंजी क्र. 6 दिनांक 15.02.2008 में किया गया नामांतरण आदेश निरस्त किया जाकर भूमि का कब्जा लेने के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च् न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक 840/09 प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका का दिनांक 31-7-09 को निराकरण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए उभयपक्षों को विधिवत नोटिस जारी कर स्पीकिंग आदेश पारित करने के आदेश अपर कलेक्टर को दिए। जिस पर से कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 13.03.2012 द्वारा स्वमेव निगरानी स्वीकार की जाकर दिनांक 12-3-74, 18-1-94 एवं पटवारी हल्का नं0 18, आनंद नगर देवास की नामांतरण पंजी क्र. 6 द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश दिनांक 15.02.2008 निरस्त किए गये । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।<br>3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि वर्ष 1974 में पारित नामांतरण | |

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | नामांतरण आदेश निरस्त करने हेतु कोई कारण बताओ सूचना-पत्र नहीं दिया गया था, स्वमेव निगरानी में 1974 एवं 1994 में पारित नामांतरण आदेश जिसके आधार पर वर्ष 1994 एवं वर्ष 2008 में आदेश पारित किए गए थे, उन्हें 38 वर्ष पश्चात निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जो कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया है उसमें किन आदेशों का पुनरावलोकन किया जाना है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसके उपरांत भी पुनरावलोकन हेतु जारी कारण बताओ सूचना-पत्र के आधार पर प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 12.03.1974, 18.01.1994 एवं 15.02.2008 को निरस्त करने में अपर कलेक्टर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। अत: उनका आदेश प्रथम दृष्टि में ही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।<br>यह भी कहा गया कि जिस मूल नामांतरण आदेश के आधार पर वर्ष 1994 में व 2007 में अंतरण किए गए थे उनको देखते हुए मूल आदेश के आधार पर दो बार प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया गया है इस प्रकार शासन की अकर्मण्यता के कारण तीसरे पक्ष के हित में अंतरण हो चुके हैं जिन्हें देखते हुए शासन द्वारा पूर्व आदेश निरस्त करने में भूल की गई है ।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना-पत्र के उत्तर में अपने पक्ष के समर्थन में भूतपूर्व देवास महाराज द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 25.06.1948 के आधार पर ही आवेदक ने जो तथ्य अपने उत्तर में लिखे थे उनका उल्लेख तक न करते हुए जो आदेश पारित किया है वह अपने आप में शून्यवत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।<br>अपर कलेक्टर द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है कि वर्ष 1974 में हुए नामांतरण आदेश के आधार पर वर्ष 1994 में तत्पश्चात 2007 में अंतरण किए गए थे इस प्रकार मूल आदेश के पश्चात 2 बार किए गए अंतरणों से विभिन्न पक्षकारों ने पंजीकृत विक्रय-पत्र से भूमि क्रय की है। इस प्रकार तीसरे पक्ष के हित में अंतरण हो चुके हैं। इस कानूनी स्थिति पर | |

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1428-एक/12 **जिला** - देवास

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | किंचित विचार न कर अपर कलेक्टर ने अवैधानिक कार्यवाही की है।<br>4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक के तर्कों से सहमत होते हुए आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।<br>5/ अनावेदक क्र. 6 शासन की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दियेगये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पूर्व से आबादी नजूल में दर्ज है जिसका फर्जी विक्रयपत्र करवाया गया जानकारी होने पर शासन द्वाराजांच कराइर् गइर्ह और जांच के अाधारपर आवेदकगण का नामांतरण निरस्त किया गया ।<br>यह भी कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा देवास में गोडाउन निर्माण हेतु चाही गई थी िजस पर कलेक्टर, देवास ने प्रश्नाधीन भूमिसर्वे नं0 64/1 मिन 2 क्षेत्रफल 0.951 हस्तांतरित की गई है तथा भारत निर्वाचन आयोगको आधिपत्य दिया गया है जिस पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।<br>6/ उभयपक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण पुनरावलोकन में दर्ज किया जाकर आदेश पारित किया गया है, सही नहीं है क्योंकि अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण पुनरावलोकन में दर्ज किया गया है परंतु आदेश उन्होंने स्वप्रेरणा निगरानी में ही पारित किया गया है। अत: त्रुटिवश गलत मद में प्रकरण दर्ज होने से यह मान्य नहींकिया जा सकता कि अपर कलेक्टर द्वारा पुनरावलोकन में आदेश पारित किया गया है । कलेक्टर के आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख | |

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | है कि प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाता है इससे इस तथ्य को पूर्ण बल प्राप्त होता है कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में आदेश पारित किया गया है । अतः आवेदक का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है अपर कलेक्टर द्वारा विस्तार से तथ्यों एवं वैधानिक प्रावधानों की विस्तार से विवेचना करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए हस्तक्षेप का कोई आधार आवेदक व्यक्त नहीं कर पाए हैं । परिणामतः अपर कलेक्टर, जिला देवास द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है एवं यह निगरानी निरस्त की जाती है ।<br>पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो ।<br>(3)<br>**(एम.गोपाल रेड्डी)**<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |